सीबीआई के क्षेत्राधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : कहा- ऐसे मामलों में राज्य सरकार की अनुमति

बिलासपुर | आरएनएस

राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब राज्य शासन ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया था। बगैर अनुमति जांच के लिए एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की राज्य सरकार ने सिफारिश की और पांच साल बाद सीबीआई की प्रदेश में एंट्री हो पाई। साजिश और धोखाधड़ी के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि मामले की जांच करनी है तो राज्य सरकार से अनुमति की जरुरत नहीं है। पढ़िए हाई कोर्ट का वह फैसला जिसमें घटित अपराध, क्षेत्राधिकारी और शासन की अनुमति के संबंध में क्या कहा है।

आपराधिक घटना, रची गई साजिश की पड़ताल के लिए सीबीआई जांच को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में अपराध की प्रकृति, स्थान और क्षेत्राधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से बाहर आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए साजिशें रची गई, उसके बाद यहां आकर अपराध को अंजाम दिया गया है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई जांच के लिए उस राज्य की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है जहां अपराध को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला साढ़े 24 करोड़ के फ्राड से जुड़ा हुआ है। साजिशकर्ताओं ने दो राज्यों में बैठकर फ्राड के लिए साजिशें रची। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली में ब्लू प्रिंट तैयार किया और छत्तीसगढ़ में आकर इसे अमलीजामा पहनाया है।रायपुर स्थित हुडको के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रमुख सुरेंद्र सिंघई पर आरोप लगाया गया था कि पद का दुरुपोग करते हुए उन्होंने उद्योगपति सुनील मल के साथ आपराधिक साजिशें रची। सुनील, इस्पात एंड पावर लिमिटेड कोलकाता के संचालक हैं और उनका संयंत्र ग्राम- चेराईपानी रायगढ़ में है। दोनों ने मिलकर स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए 24.50 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की।फ्राड के इस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा आरोपी को रिहा करने से इंकार करने वाले आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह अपराध केवल छत्तीसगढ़ में ही किया गया था, लिहाजा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।सीबीआई द्वारा प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार आवेदक ने कोलकाता में ऋण स्वीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन को परीक्षण व स्वीकृति के लिए हुडको के निदेशक के समक्ष दिल्ली भेजा गया था। परीक्षण के बाद ऋण स्वीकृत किया गया। ऋण चेरापानी, रायगढ़ में कैप्टिव पावर प्लांट के लिए था, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। साजिश की शुरुआत कोलकाता में हुई और ऋण नई दिल्ली में स्वीकृत किया गया था। राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ में किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हुडको के कोलकाता कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने के बाद नई दिल्ली में लोन पास होने के कारण नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र भी नई दिल्ली में दायर किया गया था।

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी प्रेमिका के पिता की हत्या

महासमुंद (आरएनएस)। जिले के ग्राम मालीडीह में एक प्रेमी ने प्रेमिका के पिता द्वारा शादी से मना करने पर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका के पिता को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला तुमगांव थानाक्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मोहित पटेल एक युवती से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था। लेकिन लडक़ी के पिता हीराधर पटेल ने अपनी बेटी की शादी मोहित से कराने से मना कर दिया। इस बात से आक्रोशित मोहित ने अपनी प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने दो दोस्त पंकज और मनोज के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। तीनो ने योजना के तहत लडक़ी के पिता हीराधर को बिरबिरा के जंगल में बुलाया और मौका पाकर आरोपियों ने हथौड़े से वार कर हीराधर को मौत के घाट उतार दिया और वहीं जंगल में लाश को छुपाकर फरार हो गए। इधर हीराधर के लापता होने पर हीराधर के भाई गोविन्द पटेल ने 17 दिसंबर की शाम को हीराधर पटेल की लापता होने की सूचना तुमगांव थाने में दी। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक हीराधर पटेल के साथ मोहित पटेल को देखा गया था। पुलिस ने मोहित को हिरासत मे लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसके अपने दो दोस्तों के साथ मिलकरहीराधर की हत्या करना स्वीकार कर किया। जिसके बाद पुलिस ने तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल बाइक और हथौड़ा जब्त कर धारा 103(1) , 61(2), 238, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।

उपायुक्त राजेश्वरी पटेल ने एमएमयू 7 का निरीक्षण किया

रायपुर (आरएनएस)। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर निगम उपायुक्त राजेश्वरी पटेल ने नगर निगम जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत रायपुर में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) क्रमांक 7 की व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन किया. उपायुक्त ने एमएमयू में प्रचार - प्रसार के लिए जिंगल और वीडियो ब्रॉड कास्टिंग में आ रही समस्या सहित चार्जिंग समस्या के त्वरित तकनीकी निदान के सम्बन्ध में स्थल पर सम्बन्धित वेंडर को आवश्यक निर्देश दिए.

कॉलेज छात्रा को मधु मक्खियों ने काटा

जशपुर-रायपुर (आरएनएस)। जिले के एक कॉलेज से घर लौट रही छात्रा पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. यह घटना जिला जेल के सामने हुई, जब छात्रा रास्ते में थी. हमले से घबराई छात्रा ने जान बचाने के लिए दौडऩा शुरू किया और पास ही स्थित कन्या छात्रा वास तक पहुंची.आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए धुआं किया, जिससे मधुमक्खियां उड़ गईं और छात्रा को राहत मिली. घटना की जानकारी मिलते ही आदिम जाति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रा को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए. छात्रा का उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

फ्लाइट में बिगड़ी यात्री की तबियत, नागपुर में आपात लैंडिंग

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर से मुंबई जाने वाली विमान को नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि पैसेंजर की तबीयत खराब होने की वजह से विमान को नागपुर में ही उतार दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, विमान देर रात 11 बजे रायपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद विमान को आनन फानन में नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि पैसेंजर के मुंह से खून निकलने की शिकायत हुई जिसके बाद रात 12 बजे नागपुर में विमान को उतार दिया गया। जिसके बाद पैसेंजर की इजाल की व्यवस्था कराई गई। हिफलहाल पैसेंजर की हालात की जानकारी सामने नहीं आई है।

डीएमएफ मद से सडक़ निर्माण में गड़बड़ी, डिप्टी सीएम ने 5 लोगों को निलंबित करने की घोषणा की

रायपुर | आरएनएस

दंतेवाड़ा जिले में डीएमएफ मद से सडक़ निर्माण के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद डिप्टी सीएम ने सडक़ निर्माण में गड़बड़ी के मामले में 5 लोगों को निलंबित करने की सदन में घोषणा भी कर दी. उन्होंने इस मामले में संबंधित ठेकेदार से वसूली करने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का भी ऐलान किया.विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जिला निर्माण समिति दंतेवाड़ा के तहत डीएमएफ मद से स्वीकृत सडक़ों का मामला उठाते हुए सवाल दागे. उन्होंने पूछा कि क्या इस सडक़ के निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इसमें किस तरह की गड़बडिय़ां पाई गई और जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.सवालों के बीच उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने माप पुस्तिका में दर्ज कार्यों के तहत भुगतान को लेकर सवाल दागे. उन्होंने पूछा कि क्या ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है. इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यह कार्य पीएम ग्राम सडक़ के तहत डीएमएफ में स्वीकृत ही नहीं है. बल्कि जिला निर्माण समिति समिति के विशेष केन्द्रीय सहायता मद में स्वीकृत है।

उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस मामले में शिकायत मिली थी. दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम गठित कर प्रथम स्तरीय जांच कराई गई. इसके भीतिक सत्यापन में अर्थवर्क, जीएसबी डामरीकरण कार्य, डब्लूबीएम और सोल्डर कार्य, रिटनिंग वॉल में अनियमितता का उल्लेख है।

डिप्टी सीएम ने जांच रिपोर्ट में ठेकेदार से 2 करोड़ की वसूली का जिक्र किया. तब चंद्राकर ने पूछा कि जब भुगतान ज्यादा नहीं हुआ तो जांच समिति किस बात की वसूली कर रही है. इस पर डिप्टी सीएम एक द्वारा माप पुस्तिका के आधार पर कम भुगतान और वसूली के आदेश होने की बात कही। इस पर चंद्राकर बिफर पड़े. उन्होंने डिप्टी सीएम पर का आरोप लगाए कि आप भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं. भ्रष्टाचार को उजागर क्यों नहीं कर रहे, संरक्षण क्यों दे रहे हैं. इस बात इस पर सदन में विपक्ष ने भी हंगामा शुरू कर दिया. इसी बीच दोनों में तीखे लहजे में बहस और टकराव की स्थिति बन गई।

टकराव पर आसंदी की समझाइश-

सदन में डिप्टी सीएम और भाजपा सदस्य के बीच टकराव और तौखे लहजे में बहस के दौरान आसंदी ने मामला संभाला. उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि इतनी ऊंची आवाज में न बोलें. माइक लगा है इसलिए सब धीरे बोलने से भी सुन लेते हैं. इसलिए टोन नीचे करें. आरोप-प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है. संसदीय तरीके से समझाने

महिला से गैंगरेप, दो गिरफ्तार

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के कोनी थानाक्षेत्र में एक महिला के साथ दो लोगों ने उसके घर में जबरदस्ती घूसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। दस दिन बाद महिल ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने गैंग रेप की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोनी थाना में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि 10 दिसंबर को दोपहर धरमलाल उर्फ निहाल सूर्यवंशी और सरकंडा के मुक्तिधाम के पास रहने वाला देवराज वर्मा उसके घर से लगे दुकान आए थे। फिर सिगरेट खरीद कर बाहर पीने लगे। इस दौरान महिला दुकान बंद कर पानी लेने अपने घर गई। तभी महिला को अकेली पाकर दोनों उसके घर में घुस गए और दोनों ने महिला को डरा-धमका कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर दोनों ने उसे धमकाते हुए कहा कि किसी को बताने पर जान से मार की धमकी दी। जिससे डरकर वह चुप रही और दस दिन बाद शुक्रवार को उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, इसके बाद कोनी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि घटना के तीन दिन पहले दुकान आकर धरमलाल ने उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन उसने नंबर नहीं दिया। दो दिन तक वो गांव में रहा और फिर वापस लौट गया तथा तीन दिन बाद दोस्त के साथ सिगरेट पीने के बहाने आया और सीधे घर में घूस गया और दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने सरकंडा और जरहाभाठा में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सीजीएमएससी द्वारा मोक्षित कार्पोरेशन से की गई 660 करोड़ की रिएजेंट खरीदी की ईओडब्ल्यू करेगी जांच

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ध्यानाकर्षण के दौरान इस संबंध में घोषणा की.भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक द्वारा सदन में रिएजेंट खरीदी की मुद्दा उठाया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में सुनियोजित रूप से भ्रष्टाचार हुआ. बिना जरूरी, बिना डिमांड के रिएजेंट सप्लाई की गई. 28 करोड़ की रिएजेंट खराब हो चुकी है, और भी खराब होने की आशंका है.ऑडिट में पकड़ी गई थी गड़बड़ी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट आब्जरवेशन ने बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी. ऑडिट ऑब्जरवेशन 29 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक की गई थी. इस आडिट में 193 करोड़ रुपए की खरीदी में आपत्ति जताई गई थी. ऑडिट रिपोर्ट में की गई आपत्ति के बावजूद टेंडर निरस्त नहीं किया गया. मोक्षित कारपोरेशन ने अपनी सप्लाई जारी रखी.

विधायक उत्तरी जांगड़े के भाषण पर विपक्ष-विपक्ष में तीखी तकरार

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े पर भडक़ाऊ भाषण के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने जांगड़े के बयान को स्लीप ऑफ टंग बताया, जबकि विपक्षी विधायकों ने इसे प्रदेश में अशांति फैलाने की साजिश बताया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि विधायकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इस बयान के बाद विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच फिर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सदन में जय सतनाम और जय भीम के नारे भी गूंजे। कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े और नगर पालिका अध्यक्ष अजय बंजारे पर भडक़ाऊ भाषण देने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। भाजपा नेताओं ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके आधार पर बीएनएस की धारा 56, 351(1)(ड्ढ), 352, और 296 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला 12 दिसंबर को आयोजित धरना-प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव का है, जहां उत्तरी जांगड़े पर कथित तौर पर भडक़ाऊ बयान देने का आरोप लगाया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

कांकेर-रायपुर (आरएनएस)। मामले में दिनांक 25.11.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये की चली गयी है जिसका आस पडोस रिस्तेदारों में पता तलाश किया जिसका कोई पता नही चला है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिग पुत्री को बहला फसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 51/24 एवं अपराध क्रमांक 162/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ट पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. ऐलिसेला के निर्देषन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्षन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में नाबालिग अपहता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाष के दौरान अपहता धमतरी में होना पता चलने पर वरि0 कार्यालय के दिषा निर्देषन पर पुलिस टीम रवाना किया गया था नाबालिक अपहता एवं संदेही का पता तलाष कर लाल बगीचा धमतरी से नाबालिग बालिका को भूषण सिन्हा पिता दिनेश सिन्हा उम्र 25 साल निवासी चांदनी चैक लोहरसी थाना अर्जुनी जिला धमतरीके कब्जे से बरामद कर दस्तायाब किया गया।

मामले में अपहता से पूछताछ करने पर बतायी कि फरवरी वड्ढ 2024 को अपने मामा के घर सगाई में गयी थी जहॉ पर भूषण सिन्हा से परिचय हुआ था भूषण सिन्हा से बातचीत होता था वह बोला तुमको पसंद करता हॅु शादी करूंगा बोल कर बहला फुसलाकर मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है। बतायी कि मामले में अपहता के कथन पर से अपराध धारा 64,64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पॉक्सो एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण में 64,64(2)(ड) बीएनएस 4,6 पॉक्सो एक्ट जोडा गया है प्रकरण में विवेचना के दौरान भूड्ढण सिन्हा पिता दिनेष सिन्हा उम्र 25 साल निवासी चांदनी चैक लोहरसी थाना अर्जुनी जिला धमतरी द्वारा अपराध धारा का घटित करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेष किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंषी , सउनि प्रदीप यादव ,सउनि समसुददीन खान ,म0प्र0आर0 ज्योति मिश्रा, म0आर0 अनिता जुर्री , दिनेष्वरी निषाद, आर0 रामेष्वर कोडोपी, आर0 बलराम सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा है।

ट्रेड एक्सपो नाम पर सैकड़ों नागरिकों ने गंवाए 5 करोड़ रुपए

गरियाबंद-रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पहले ही चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर 181 करोड़ रुपये गवां चुके लोग अब एक और फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. इस बार ट्रेड एक्सपो नाम के एक मल्टीनेशनल ट्रेडिंग एप ने 200 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है. मामले की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है. यह मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। ट्रेड एक्सपो नाम के ट्रेंडिंग एप से करोड़ों की ठगी शिकार हुए निवेशकों में से संतोष देवांगन समेत अन्य ने बीती रात राजिम थाने पहुंच कर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि राजाराम तारक, शरद चंद शर्मा और पीपरछेड़ी होस्टल अधीक्षक यशवंत नाग ने अपने अन्य साथियों के साथ मिल रकम पांच गुना करने का झांसा देकर सैंकड़ों लोगों से 5 करोड़ से ज्यादा रकम की ठगी किया है. शिकायत के बाद राजिम पुलिस ने मामला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया

है. एडिशन एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा है.साल भर पहले ट्रेड एक्सपो नाम के एक ट्रेडिंग ऐप को लॉन्च किया गया. उपरोक्त सक्रिय एजेंटों ने विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया. एप में ज्वाइन करा कर दिए गए आकर्षक पैकेज के आधार पर निवेश के रकम के आधार पर निवेशकों के खाते में रोजाना आधा से एक प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर रकम भी डालते गए. निवेश का रकम सीधे दुबई जा रहा था, रिटर्न डॉलर में मिल रहे थे. इसी रिटर्न का प्रचार कर कारोबार को बढ़ाया गया. तीन माह तक रिटर्न दिया जाता रहा. फिर निवेश करने वालों की संख्या और निवेश रकम का आंकड़ा भी बढऩे लगा. घर बाड़ी बेच कर निवेश किया गया, मार्केट से ब्याज में उठा कर भी पैसे डालने लगे. शिक्षक अपने बचत पूंजी को निवेश किया. आकर्षक पैकेज में जिले दर्जन भर पुलिस वाले भी झांसे में आ गए. परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दिल खोल कर रकम लुटाया है. पीड़ितों के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगो ने 5 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर दिया है.सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जिले के 93598 लोगों ने विभिन्न चिट फंड कम्पनियों में 7 साल पहले 181 करोड़ रकम निवेश कर वापसी का इंतजार कर रहे है. सबसे ज्यादा राजिम अनुविभाग में 100 करोड़ का निवेश हुआ किया गया है. ट्रेडिंग एप में डूबे ज्यादातर लोग भी इसी राजिम इलाके से आते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU